प्रोत्साहन पाने के लिए छह महीने में आवेदन अनिवार्य

- औद्योगिक विकास आयुक्त ने जारी की गाइडलाइंस
- एक साल में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन पाने को छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा। छह महीने की अवधि दिशा-निर्देश जारी होने की तारीख से मानी जाएगी।

औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने 19 जून 2023 को इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर इसे सभी अपर मुख्य सचिवों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को भेजा है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए सभी आवेदकों को इस दिशा-निर्देश जारी होने के छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस अवधि में प्राप्त सभी आवदेनों का परीक्षण कर एक साल में गुण दोष के आधार पर लेटर आफ कम्फर्ट जारी होगा।